HRA Sazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 878] No. 878] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2006/श्रावण 19, 1928 NEW DELHI,THURSDAY, AUGUST 10, 2006/SRAVANA 19, 1928

कंपनी कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2006

का.आ. 1278(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 7) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए 8 अगस्त, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 7, धारा 9, धारा 13 (मूल अधिनियम की नई धारा 15क को छोड़कर), धारा 17 खंड (i) को छोड़कर धारा 18, धारा 23, धारा 24, धारा 29, धारा 30 और धारा 31 प्रवृत्त होंगी 1

[फा. सं. 5/27/2006-सी.एल-5] जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2006

S.O. 1278(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006 (7 of 2006), the Central Government hereby appoints 8th day of August, 2006, as the date on which the Sections 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13 (except new Section 15A to the principal Act), 17 except clause (i), 18, 23, 24, 29, 30 and 31 of the said Act, shall come into force.

[F. No. 5/27/2006-CL-V] JITESH KHOSLA, Jt. Secy.